13-04-2026

अभियुक्त सचिन रावत, अमित कुमार, अंशु कुमार एवं गोपाल कुमार की हाजरी है। शेष दो राजीव कुमार एवं नवीन कुमार की द्वारा अधिवक्ता हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 323, 341, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 08.04.2022 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान तीन अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुरेन्द्र पासवान, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **अभियुक्तगण से उसने सुलह कर लिया है। सुलहनामा पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया है। गलतफहमी में यह मुकदमा हो गया है। वह आगे मुकदमा नही लड़ना चाहता है। अभियुक्तो को इस केस में रिहा कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नही है।** अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं 3 ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में कुछ नही जानता है। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले में तीन अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुरेन्द्र पासवान, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **अभियुक्तगण से उसने सुलह कर लिया है। सुलहनामा पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया है। गलतफहमी में यह मुकदमा हो गया है। वह आगे मुकदमा नही लड़ना चाहता है। अभियुक्तो को इस केस में रिहा कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नही है।** अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं 3 ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में कुछ नही जानता है। फलतः ये साक्षी**

अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि कुल अभियुक्तो में से दो अभियुक्त, जो कथित रूप से सूरत में कार्यरत है, को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार सिंह, ने अपने मों0 संख्या 9931933965 के व्हाटस अप से उपस्थापित करवाया तथा न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों को व्हॉटसअप से भेजकर इन दो अभियुक्त नवीन रावत एवं राजीव रावत ने अपना हस्ताक्षर कर व्हॉटसअप के माध्यम से वापस भेजा। नवीन रावत एवं राजीव रावत के हस्ताक्षर की उनके अधिवक्ता ने पहचान की। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तो ने न्यायालय द्वारा जांच क्रम में की गयी पूछताछ में साक्ष्य से इंकार किया है तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा है। अन्य अभियुक्त, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच की गयी। यहां आगे उल्लेखनीय है कि जैसा कि उपर कहां जा चुका है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 एवं 3 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नही जानते है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 1, जो काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने अपने साक्ष्य में स्वेच्छा सुलह करने एवं गलतफहमी में मुकदमा हो जाने के तथ्य का उल्लेख किया है। अतः सभी अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।